न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मु0न0:–01 / 18

1. मुस0 सोमोती विधवा पीतम जाति जाटव, निवासी गांव इमलिया तहसील बयाना जिला भरतपुर
2. रम्मूली पुत्री पीतम, पत्नी बाबूलाल, जाति जाटव, निवासी कपरौला तहसील सेवर जिला भरतपुर राज0
3. जलसिंह पुत्र पीतम(मृतक)

3/1. मुस0 वीरमती विधवा जलसिंह
3/2. विवेक पुत्र जलसिंह
3/3. कु0 चंचल पुत्री स्व0 जलसिंह
3/4. अनूप पुत्र स्व0 जलसिंह
3/5. गुड्डू पुत्र स्व0 जलसिंह

4. कुमरसिंह पुत्र पीतम
5. मुस0 फूलवती विधवा सोहनसिंह
6. सुरेन्द्र पुत्र स्व0 सोहनसिंह
7. दिलीप पुत्र स्व0 सोहनसिंह
   सभी जाति जाटव निवासी गांव इमलिया तहसील बयाना, जिला भरतपुर।
8. मुस0 सपना पुत्री स्व0 सोहनसिंह, पत्नी बबलू
9. मुस0 प्रियंका पुत्री स्व0 सोहनसिंह, पत्नी दीनदयाल
   सभी जाति जाटव, निवासी बसई, तहसील रूपवास जिला भरतपुर
10. धमेन्द्र पु. स्व0 सोहनसिंह
11. पुष्पेन्द्र पुत्र स्व0 सोहनसिंह
   जाति जाटव, निवासी इमलिया, तहसील बयाना, जिला भरतपुर अव्यस्कगण द्वारा माता स्वंय प्राकृतिक वली श्रीमती फूलवती विधवा सोहनसिंह जाति जाटव, निवासी गांव इमलिया तहसील बयाना, जिला भरतपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत महलौनी पंचायत समिति बयाना, तहसील बयाना
2. सन्तराम पुत्र मोहनलाल कथित मूली
3. मुस0 मछला पुत्री मोहनलाल कथित मूली
4. यज्ञप्रेस पुत्र मोहनलाल
5. रघुवीर उर्फ रामवीर पुत्र मोहनलाल
6. वीरेन्द्र उर्फ बबलू पुत्र मोहनलाल
7. उर्मिला उर्फ उमलेश पुत्री मोहनलाल
8. कपूर पुत्र मोहनलाल
   सभी जाति जाटव, निवासी ग्राम इमलिया तहसील बयाना, जिला भरतपुर राजस्थान।

.......रैस्पोंडेन्टगण

न्यायालय उप जिला कलक्टर बयाना (भरतपुर)

अपील आवेदन विरूद्व नामान्तकरण संख्या 226 दिनांक 05.10.2017 बाबत ग्राम इमलिया ग्राम पंचायत महलौनी पंचायत समिति बयाना।

दिनांक:– 02/01/2026

उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

निर्णय

उपस्थिति:– श्री बृजमोहन गुप्ता एड0 अपीलान्ट्स
श्री भारत भूषण बंसल एड0 रैस्पोडेन्ट संख्या 02

यह अपील अपीलान्ट्स द्वारा विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 226 दिनांक 05.10.2017 बाबत ग्राम इगलिया ग्राम पंचायत महलौनी पंचायत समिति बयाना के प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पुराना खसरा नम्बर 185 मिन स्थित गांव इगलिया तहसील बयाना के नये खसरा नम्बर 244 रकबा 0.09, 254 रकबा 0.15, 255 रकबा 0.09, 256 रकबा 0.09, 256/776 रकबा 0.03, 257 रकबा 0.18 किता 6 रकबा 0.63 हैक्ट बने है, तथा खातेदार मृतक मूली की शादी मुस0 गिर्राजी से हुई थी, तथा मूली की मृत्यु 1968 में होने के बाद मुस0 गिर्राजी अपने देवर मोहनलाल के धरेजा जाति प्रथा अनुसार नाता बैठ गई जिससे मुस0 गिर्राजी व मोहनलाल से 1 लडका सन्तराम व 1 लडकी मुस0 मछला रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 पैदा हुये तथा मोहनलाल की दूसरी पत्नी मुस0 पची से 5 पुत्र पुत्री क्रमश: यज्ञप्रेरा, रघुवीर, वीरेन्द्र, उर्मिला व कपूर पैदा हुए उसी दौरान दिनांक 01.08.1996 को मृतक मोहनलाल की दौसा के पास खेडली गांव के मोड के तिवारा के पास दुर्घटना मे मृत्यु हो गई। जिसका क्लेम आवेदन एम.ए.सी.टी न्यायालय दौसा मे मृतक मोहनलाल की दोनों पत्नियों मुस0 गिर्राजी व दोनो पुत्र पुत्री व मुस0 पंची व पाचों पुत्र पुत्रियों ने दावा एम.ए.सी.टी नम्बर 340/96 पेश किया। जो दिनांक 05.03.2003 को डिक्री हो गया तथा उसका क्लेम भी रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 ने प्राप्त कर लिया। मृतक किशनलाल का सजरा अपील में वर्णित किया गया। नामान्तकरण संख्या 226 दिनांक 05.10.2017 नितांत अवैध गैरकानूनी तथा प्रचलित कानूनी के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 दोनो मृतक मूली पुत्र किशनलाल के पुत्र व पुत्री व वारिसान नहीं है मृतक मूली पुत्र किशनलाल (लावल्द) बिना पुत्र पुत्री के मरा था उसकी एक मात्र विधवा मुस0 गिर्राजी मृतक मूली की 1968 में मृत्यु के बाद 1968-69 में अपने देवर मोहनलाल के नाता धरेजा बैठ गई तथा मोहनलाल की दुर्घटना में मृत्यु के बाद दोनों ही पत्नियों के वारिसों ने अपनी सही व सत्य सकूनत व वल्दियत मुसव0 गिर्राजी वेवा मोहनलाल तथा सन्तराम व मछला पुत्र व पुत्री मोहनलाल स्वय स्वीकार करके तथा मुस0 पंछी वेवा मोहनलाल व रैस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 ने एक एम.ए.सी.टी क्लेम दावा 340/96 न्यायालय एम.ए.सी.टी दौसा में पेश किया तथा वह दावा दिनांक 05.03.2003 को निर्णय होकर अपने मृतक पिता मोहनलाल पुत्र किशनलाल की दुर्घटना मृत्यु का क्लेम भी प्राप्त किया जिससे रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 सभी यह सत्य व स्वीकृत तथ्य व मान्य तथ्य जानकारी में था कि रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 दोनों मृतक मोहनलाल के पु. पुत्री है तथा मृतक मूली के वारिसान नहीं है। मृतक मूली लावल्द मरा था इस प्रकार मृतक मूली की इन भूमि खण्डों की उक्त वर्णित भूमी अपीलार्थीगण संख्या 1 लगायत 4, 1/2 भाग से प्रत्येक 1/5 भाग के तथा अपीलार्थी संख्या 5 लगायत 11 सभी 1/5 भाग के खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है तथा रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 हिस्सा 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है तथा कानूनन भी मृतक मूली की सगस्त भूमियों व जायदादों पर मूली के भाई पीतम के वारिसान अपीलार्थीगण तथा मोहनलाल के वारिसान 2 लगायत 8 सभी वहिस्सा बराबर 1/2, 1/2 भाग के खातेदार होते है व है परन्तु रैस्पोडेन्टस संख्या 2 लगायत 8 की नीयत में खराबी आ गई तथा अपने स्वंय के पिता मोहनलाल को छुपाकर बेईमानी व चार सो बीसी से षडयंत्र रचकर अपीलार्थीगण को नाजायज हानि पहुचाने को तथा स्वंय को अवैध व नाजायज लाभ लेने को यह जानते हुये भी कि वे लोग मृतक मोहनलाल के वारिसान है तथा मृतक मोहनलाल की मृत्यु दुर्घटना क्लेम भी कोर्ट दौसा से ले चुके है। तब भी वार्ड एक वार्ड नम्बर 07 के पंच श्रीभानसिंह के हस्ताक्षर बनाकर एक फर्जी व जाली वारिस प्रमाण पत्र पर स्वंय हस्ताक्षर बनाकर तथा रैस्पोडेन्टस संख्या 1 सरपंच से मिलकर षडयंत्र पूर्वक बेईमानी से फर्जी व जाली वारिस प्रमाण पत्र बनाकर यह दाखिल खारिज दिनांक 05.10.2017 को स्वंय ही फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर स्वंय ही तस्दीक कर दिया जिसका कोई अधिकार रैस्पोडेन्ट संख्या 1 को नहीं था जबकि अपीलार्थी जलसिंह ने एक प्रार्थना पत्र गय निर्णय की फोटो प्रति एम.ए.सी.टी कोर्ट दौसा की रैस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिया था कि रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 दोनों मृतक मूली ना

के पुत्र पुत्री नही है तथा मोहनलाल के पुत्र पुत्री है जो मृतक मोहनलाल की दुर्घटना का क्लेम भी प्राप्त कर चुके है रैस्पोंडेन्ट संख्या 1 अपीलार्थीगण को यहकारी रही कि चिन्ता गत करो न्याय होगा मोहनलाल व पीतम दोनों भाईयों के वारिसों को 1/2, 1/2 भाग का दाखिल खारिज किया जावेगा तब भी रैस्पोंडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत ने एक नहीं सुनी तथा बिना कानून बिना अधिकार कानून का गला घोंटकर न्यायालय एम.ए.सी.टी जज दौसा के निर्णय को भी नहीं मानकर बेईमानी व जालसाजी से स्वंय ने वार्ड नम्बर 7 के वार्ड पंच श्रीभानसिंह के फर्जी हस्ताक्षर बताकर स्वंय द्वारा वारिस प्रमाण पत्र फर्जी तस्दीक करके यह दाखिल खारिज 05.10.2017 को तस्दीक कर दिया जबकि वार्ड पंच वार्ड संख्या 7 के वार्ड पंच श्रीभानसिंह ने स्वंय ने एक शपथ पत्र दिनांक 22.12.2017 को दिया है जिसमें इस फर्जी वारिस प्रमाण पत्र को फर्जी बताया है तथा उस पर उसके हस्ताक्षर भी फर्जी बनाये बताये है। रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 सन्तराम व मछला ने यही नहीं एक फर्जी व जाली मतदाता सूची ग्राम पंचायत मिलकपुर तहसील बयाना पंचायत समिति बयाना में भी बेईमानी व फर्जकारी से गिरोजी पत्नी मूलचन्द व सन्तराम पुत्र मूलचन्द का सन् 2009 का फर्जकारी से बनया है तथा 1968-69 के बाद से मृतक मोहनलाल की खान दाज धरेजा पत्नी थी तथा एम.ए.सी.टी कोर्ट दौसा के मुकदमा नम्बर 340/96 तारीख फैसला 5.3.2003 में सभी ने मोहनलाल की पत्नी व पुत्र पुत्री थे द्वारा क्लेम प्राप्त किया था तो भी गांव मिलकपुर में भी इस तरह का फर्जी दस्तावेज बनाया है। दिनांक 05.10.2017 को ग्राम पंचायत महलोनी द्वारा स्वीकार किया गया यह दाखिल खारिज निम्न आधारों पर अवैध व गैरकानूनी है। दिनांक 05.10.2017 को मृतक मूली के कोई जीवित पुत्र पुत्री नही थे तथा मूली के सगे भाई पीतम के वारिसान 1/2 भाग के तथा मोहनलाल के वारिसान रैस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 08 वहिस्सा बराबर 1/2 भाग के खातेदार थे तथा कब्जा भी इसी तरह है। कब्जा वाकई तौर पर रैस्पो0 संख्या 02 व 03 का नहीं है। रैस्पों0 संख्या 2 व 3 दोनो पुत्र व पुत्री मोहनलाल है जैसा कि सभी कागजात पढाई के परिवार कार्ड मतदाता सूची व निर्णय दिनांक 05.03.2003 न्यायालय एम.ए.सी.टी कोर्ट दौसा तथा आधार कार्ड से साबित है। वार्ड पंच संख्या 07 श्रीभानसिंह के शपथ पत्र दिनांक 22.12.2017 को आधार मानकर यह दाखिल खारिज तस्दीक किया है वह प्रमाण पत्र फर्जी व जाली बनाया है जिस पर वार्ड संख्या 7 के पंच श्रीभानसिंह के हस्ताक्षर स्वंय रैस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 3 ने फर्जी बनाये है। दिनांक 05.10.2017 को ग्राम पंचायत महलौनी की कोई विधिवत बैठक नही बुलाई गई न ही वार्ड नम्बर 7 का वार्ड पंच दिनांक 05.10.2017 को उपस्थित था तथा उसनें यह भी विरोध किया था कि सन्तराम व मछला दोनो मूली के वारिस नहीं है तथा वे दोनों मोहनलाल के पुत्र पुत्री है। रैस्पोडेन्ट संख्या 01 ने वारिसान बाबत व कब्जे बाबत कोई जांच नहीं की। मृतक वारिसान के नाम दाखिल खारिज खोले जाने के कानूनन नियम व प्रक्रिया बनाई गई है कोई पालना ग्राम पंचायत महलोनी ने नहीं की है तथा पूरा मामला ही अवैध व गैरकानूनी है, मृतक मूली पुत्र किशनलाल की मृत्यु दिनांक 10.03. 1968 को हुई है जबकि इस दाखिल खारिज संख्या 226 दिनांक 05.10.2017 में मृत्यु की दिनांक 15.02.1994 लिखी है जबकि 1996 के एम.ए.सी.टी कोर्ट दौसा में सन्तराम की उम्र 20 वर्ष थी जो दर्ज है तथा रैस्पोडेन्ट संख्या 03 मछला सन्तराम से 2 साल छोटी है जबकि मूली मृतक की मृत्यु 1968 में हो चुकी है व मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमांक 106 दिनांक 05.11.2017 के कॉलम नम्बर 14, 15, 16 में दर्ज जो भी विवरण दिया गया है वह सभी विवरण कानूनन गलत है तथा आधार रहित है मृतक मूली के मृत्यु प्रमाण पत्र की दिनांक व मृत्यु की तारीख तथा 13.07.2017 के प्रमाण पत्र का हवाला तक नहीं है। अतः यह सभी अंकन फर्जी व बनावटी है दाखिल खारिज गैरकानूनी है। सन्तराम व मछला दोनों के कोई दस्तावेज परिवार कार्ड अधार कार्ड मतदाता सूची पत्र परिवार कार्ड तथा पढाई के दस्तावेज तथा मुस0 मछला के पति का नाम पता सभी गलत है तथा जब रैस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 08 सभी 2003 में तथा इनके पिता स्व0 मोहनलाल की दुर्घटना में मृत्यु के समय सभी तथा इन रैस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02

की माता गिर्राजी बेवा मोहनलाल स्वंय पक्षकार प्रार्थीगण इस मुकदमा नम्बर 340/96 गिर्राजी बनाम राधेश्याम आदि तारीख फैसला 05.03.2003 में रागी मृतक मोहनलाल के वारिसान दुर्घटना की तारीख 01.08.1996 को थे तब आज इस तरह यह फर्जी व जाली वारिस प्रमाण पत्र जो 13.07.2017 को जाली व फर्जी हस्ताक्षर करके बनाया गया है स्वतः फर्जी प्रमाणित हो जाता है। जिसकी कोई जांच नहीं की गई। आपस में दुरभिसन्धि करके अपीलार्थीगण के 1/2 भाग की भूमि को अवैध व गैरकानूनी तरीके से हडपने को यह फर्जकारी व जालसाजी की है। रैस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 ने बडी चालाकी व बेईमानी से अपीलार्थीगण से छुपाकर उनकी बेक पर उन्हें कोई भी नोटिस जारी नहीं करके बिना कब्जे की जांच किये यह दाखिल खारिज तरदीक किया जिसकी जानकारी होने पर अपीलार्थी जलसिंह ने एक नकल दाखिल खारिज संख्या 226/दिनांक 05.10.2017 प्राप्त की तथा तुरन्त एक रिपोर्ट थाना बयाना में पेश की तथा वहां मुकदमा दर्ज नहीं होने पर एस.सी.जे.एम साहब भरतपुर को जरिये डांग सूचना दी तथा बाद में माननीय ए.सी.जे.एम साहब बयाना से आदेश कराकर 420, 467, 468, 471 व 120 बी आई.पी.सी का मामला रागी रैस्पोडेन्ट के विरूद्व दर्ज कराया जिसका अनुसंधान लम्बित है जिसकी एफआईआर नम्बर 25/2018 है। तमाम फर्जकारी व जालसाजी की जानकारी अपीलार्थीगण को इस दाखिल खारिज संख्या 226 दिनांक 05.10.2017 की प्रमाणित नकल लेने पर तथा अन्य दस्तावेज की नकले प्राप्त करने पर जानकारी व धमकी देने की दिनांक 18.01.2018 से यह अपील अन्दर म्याद पेश की है। रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 स्व0 मोहनलाल के पुत्र व पुत्री है स्व0 मूली के पुत्र व पुत्री नहीं है। इसलिये इनके पिता का नाम मोहनलाल कथित मूली लिखा है तथा अन्य रैस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 8 के पिता का नाम मोहनलाल दर्ज किया है। प्रत्यक्ष तथा रैस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 08 के दस्तावेजात तथा एम.ए.सी.टी न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.03.2003 के निर्णय से तथा शपथ पत्र वार्ड संख्या 7 के वार्ड पंच श्रीभानसिंह से तथा ग्राम पंचायत मिलकपुर के निर्वाचन नामावली तथा सभी दस्तावेजात से यह फर्जकारी व जालसाजी प्रमाणित है। अपीलार्थी संख्या 10 व 11 दोनों मृतक स्वर्गीय सोहनसिंह पुत्र पीताम के पुत्र है। तथा दोनो अव्यस्क है। उनकी ओर से यह अपील उनकी माता व प्राकृतिक संरक्षक व वली श्रीमती फूलवती विधवा सोहनसिंह जाति जाटव निवासी इमलिया तहसील बयाना द्वारा पेश की जा रही है मुस0 फूलवती माता के व अपीलार्थी संख्या 10 व 11 के हित समान है।

अन्त में अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 226 दिनांक 05.10.2017 को निरस्त किया जाकर कानूनन 1/2 भाग का अपीलार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 के नाम 1/2 से प्रत्येक के हक में 1/5 भाग का तथा अपीलान्ट संख्या 05 लगायत 11 के हक में 1/2 से 1/5 भाग का खातेदार दर्ज किया जावे तथा 1/2 भाग का रैस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 08 को खातेदार दर्ज किया जावे तथा रैस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 के विरूद्व फर्जकारी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने आदेश दिया। हर्जा खर्चा दिलाये जाने का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस न्यायालय हाजा तलब किया गया। प्रकरण में रैस्पोडेन्ट्स संख्या 02 व 04 लगायत 08 जरिये वकालतन उपस्थित हुये। रैस्पोडेन्ट्स संख्या 01 बाद तलबी उपस्थित न होने पर आदेशिका दिनांक 19.03.2019 से अनुपस्थिति दर्ज की गई। रैस्पोडेन्ट संख्या 03 बाद रजिस्टर्ड तलबी न्यायालय हाजा उपस्थित नहीं आयी। प्रकरण में रैस्पोडेन्ट्स की ओर से जबाव पेश न होने पर आदेशिका दिनांक 29.07.2025 को बहस अन्तिम में लगाया गया।

हमने विद्वान अभिभाषकगण अपीलान्ट्स एवं रैस्पो0 संख्या 02 को सुना। एड0 अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन कराते हुये अपील अपीलान्ट्स स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

एड0 रैस्पो0 संख्या 02 ने अपील पर आपत्ती पेश करते हुये मूली की मृत्यु सन् 1972 होना बताया। नामान्तकरण संख्या 130 दिनांक 27.10.1972 स्वीकृत होने के बाद अर्थात सन्तराम के नाम स्वीकृत होने के बाद कागजात पटवार में यह इन्द्राज राहवन से रहना बताया गया। पुनः दाखिल खारिज 05.10.2017 को उक्त नामान्तकरण के आधार पर होना बताया। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात नकल नामान्तकरण दाखिल खारिज 226 , नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–73 , मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग ग्राम इमलिया, मृत्यु प्रमाण पत्र मूली पुत्र किशनलाल, नकल मतदाता सूची ग्राम पंचायत महलौनी 1992, नकल मतदाता सूची विधानसभा बयाना सन् 2009, फोटो प्रति मार्कशीट सन्तराम सीनियर हायर सैकण्डरी परीक्षा 1991, फोटोप्रति जाति प्रमाण पत्र सन्तराम, फोटोप्रति मार्कशीट सैकण्डरी परीक्षा 1989 सन्तराम, शपथ पत्र वार्ड पंच 07 ग्राम पंचायत महलौनी श्रीभान सिंह की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत महलौनी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 13.07.2017 की फोटोप्रति, निर्णय वाद संख्या 340/96 निर्णय दिनांक 05.03.2003 न्यायालय मोटर दुर्घटना वाद न्यायधीकरण दौसा की फोटोप्रति, नकल मतदाता सूची 2009 ग्राम पंचायत मिलकपुर, नकल मतदाता सूची विधानसभा 076 सन् 2009 भाग संख्या 23 ग्राम सेवला, नकल नामान्तकरण संख्या 130 दिनांक 27.10.1972 व अन्य का गहनता से अवलोकन किया। नामान्तकरण संख्या 130 दिनांक 27.10.1972 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 226 दिनांक 05.10.2017 किया गया हो इसके प्रमाण नामान्तकरण संख्या 226 पर नहीं मिलते है। नामान्तकरण संख्या 130 के दर्ज होने की जानकारी रैस्पोडेन्ट्स को लगभग 45 वर्ष तक नहीं हुई न ही इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई, स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं। माननीय न्यायालय मोटर दुर्घटना वाद दौसा के वाद संख्या 340/96 निर्णय दिनांक 05.03.2003 में मोहनलाल की दो पत्नियों व वारिसान का उल्लेख स्वंय रैस्पोडेन्टस द्वारा किया गया है। संलग्न दस्तावेजात के निरीक्षण से ज्ञात होता है कि रैस्पोडेन्टस संख्या 02 व 03 के पिता का नाम में कहीं पर तो मूली दर्ज है व कही पर मोहनलाल दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट्स स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 226 दिनांक 05.10.2017 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है वह मूली के वारिसान की पुनः जांच करे और सन्तराम एवं मछला की बल्दीयत का सही पता कर नियमानुसार पुनः नामान्तकरण दर्ज करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को पालनार्थ भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02/01/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना

उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

न्यायालय उप जिला कलक्टर बयाना (भरतपुर)